

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत गोलाकाबास
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/07/12

अनुवान— 1 भौरलाल पुत्र कन्हैयालाल
2 कल्याणसहाय पुत्र रामचन्द जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी बिरकडी तहसील
राजगढ ।

:- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्गे जिला कलक्टर महोदय अलवर ।
2. तहसीलदार राजगढ
3. पटवारी हल्का बिरकडी तहसील राजगढ

:- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.



24.05.2018—आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास पर मूल वाद के साथ पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण मे इकतरफा बहस सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 315/0.08, 316/0.09, 317/0.10, 318/0.14, 323/0.43, 304/1.04, है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ के बाबत दिनांक 05.01.2012 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 20.03.2012 तक के लिये आराजी विवादित से प्रार्थी को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में व्यवधान ना करे । बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये ।

अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया हुआ है । जवाब मे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है ।

मैने पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज फोटोप्रति इन्तकाल संख्या 412 जमाबंदी संवत 2039 नक्शा संवत 2041 जमाबंदी संवत 2065-68 साबिक नक्शा मिलान क्षेत्रफल 2046 का भी अवलोकन व निरीक्षण किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से प्रकरण मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुऐ इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 05.01.2012 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है । अतः—

आदेश है कि:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं. 315/0.08, 316/0.09, 317/0.10, 318/0.14, 323/0.43, 304/1.04, है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ स्वीकार कर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 05.01.2012 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है ।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद जमा लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोलाकाबास तहसील राजगढ पर सुनाया गया ।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत गोलाकाबास